

प्रेषक,

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी,
मऊ।

सेवा में,

प्रबंधक,
सनबीम स्कूल
अलीनगर, कोपागंज, जनपद—मऊ।

पत्रांक / रु २२५२-८६ / 2012-13

दिनांक ३१-०७-१२

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण—पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 31.10.2011 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से सनबीम स्कूल अलीनगर, कोपागंज, जनपद—मऊ को तारीख 31.07.2012 से तारीख 30.06.2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 पे पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांध 2) पे उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथार्थतः, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटैशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :
(1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;
(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ;
(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अभिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जाएगा ;
(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना ;
(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे ;
(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है ; और
(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगे।

Manager
Sunbeam School
Alinagar, Bhaluidih
Distt - Mau

Principal
Sunbeam School
Alianagar, Bhaluidih
Distt - Mau

- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- विद्यालय अधिनियमों की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा।
- अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार :—

 - विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
 - कुल निर्मित क्षेत्र
 - क्रीड़ा—स्थल का क्षेत्रफल
 - कक्षाओं की संख्या
 - प्रध्यापक—सह कार्यालय—सह भांडागार के लिए कक्ष
 - बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
 - पेयजल सुविधा
 - मिड—डे—मील पकाने के लिए रसोई
 - बाधारहित पहच
 - अध्यापक पठन सागारी/क्रीड़ा खेलकूल उपस्कर्तों/पुस्तकालय की उपलब्धता
 - विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी।
 - विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
 - विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
 - स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूल या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
 - विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउटेंट द्वारा संपर्कशा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए।
 - प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
 - आपके विद्यालय को आवंटित यथा कोड संख्याक..... है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
 - विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जायें और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु या विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाये।
 - सोसाइटी के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
 - विद्यालय प्रबंधन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय—समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन करेंगा।
 - संलग्नक उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

भवदीय
२०१२।३।२

(मनोहर प्रसाद)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मऊ।

पृ०सं०/ / 2012-13 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- अपर शिक्षा निदेशक (ब०) शिक्षा निदेशालय उ०प्र० इलाहाबाद।
- सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (ब०) आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।
- खण्ड शिक्षा अधिकारी, बेसिक।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मऊ।

Rakesh
Manager
Sunbeam School
Garg
Alinagar, Bhaluidih

Digitally signed by
Rakesh Garg
Date: 2022.05.30
15:07:53 +05'30'

Principal
Sunbeam School
Alianagar, Bhaluidih
Distt - Mau

Minhaz Ali Haidar
Khan

Digitally signed by
Minhaz Ali
Haidar Khan
Date: 2022.05.30 07:50:35 +05'30'